प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.07.2025

साइबर सेल, थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 99570/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 01.04.2025 को साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा शिकायतकर्ता राजीव कुमार गुप्ता निवासी आदित्य ग्रीन सिटी सेक्टर 06 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमैन्ट के माध्यम से ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता से ऑनलाइन पेमैन्ट के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 99570/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से राजीव कुमार गुप्ता निवासी आदित्य ग्रीन सिटी सेक्टर 06 वसुँधरा थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ कुल 99570/- रूपये की ऑनलाइन वित्तीय ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को मर्चेन्ट से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 07.07.2025 को वादी को मर्चेन्ट से पत्राचार कर कुल धनराशि 99570/- वापस कराई गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

जालसाजी/धोखाधडी जैसे जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन, कमि0 गाजियाबाद श्री निमिष पाटील के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना इन्दिरापुरम पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

अभियुक्तगण द्वारा कपूर ज्वैलर्स शो-रुम को प्रतिष्ठित संस्थान दर्शाते हुए धोखाधडी व बेईमानी की नीयत से जनता के लोगों से उनके पुराने आभूषणो को मेकिंग चार्ज की एवज में नये डिजाईन के आभूषण मय होल मार्क के तैयार कर वापस करने का वादा करके गुमराह कर जानता को उसके असली आभूषणों के बजाय नकली आभूषण वापस करके जनता की गाडी कमाई हडप लेने जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0 0798/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 बनाम निम्नोत्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	**अभियुक्त का नाम व पता**	**पंजीकृत गैंग**	**कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या**
1	तरुण कपूर पुत्र बलदेव कपूर निवासी प्लाट न0- 18 चतुर्थ तल नीतिखण्ड 2 थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष।	जालसाजी/धोखाधडी जैसे अपराधों से संबंधित डी – 320/2025	5
2	पंकज कपूर पुत्र बलदेव कपूर निवासी प्लाट न0- 18 चतुर्थ तल नीतिखण्ड 2 थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।	जालसाजी/धोखाधडी जैसे अपराधों से संबंधित डी – 320/2025	4

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अवैधरूप से हुक्काबार चलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 हुक्का, 01 काली नोजल, 01 काली चिलम, नौ पैकेट तम्बाकू, 05 गोल्ड फ्लैग, 05 पैकेट मौलासिस, 02 पैकेट 007 X AFJAL तम्बाकू बरामद।

दिनांक 07.07.2025 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैधरूप से हुक्काबार का संचालन करने वाले 02 अभियुक्तों 1.जावेद पुत्र अब्दुल निवासी ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 2. जुनैद पुत्र नसीम निवासी डासना गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 04 हुक्का, 01 काली नोजल, 01 काली चिलम, नौ पैकेट तम्बाकू, 05 गोल्ड फ्लैग, 05 पैकेट मौलासिस, 02 पैकेट 007 X AFJAL तम्बाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर धारा 21/22 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग चोरी छिपे अवैधरूप से हुक्काबार चलाते हैं तथा ग्राहकों को तम्बाकू का सेवन कराकर पैसे कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.जावेद पुत्र अब्दुल निवासी ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

2. जुनैद पुत्र नसीम निवासी डासना गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 04 हुक्का, 01 काली नोजल, 01 काली चिलम, नौ पैकेट तम्बाकू, 05 गोल्ड फ्लैग, 05 पैकेट मौलासिस, 02 पैकेट 007 X AFJAL तम्बाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.07.2025 को थाना निवाडी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त विपिन पुत्र पप्पू निवासी गांव नगलाबेर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ शादी तय होने के उपरान्त मिलने हेतु दबाव बनाकर अपनी बुआ के घर बुलाकर वादिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बना लेना तथा ब्लैकमेल करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.07.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र पप्पू निवासी गांव नगलाबेर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले मेरी पीडिता से मुलाकात गांव भदौली थाना भोजपुर में एक शादी समारोह में हुई थी उसके बाद से हम दोनो सोशल मीडिया पर बाते करने लगे। पिछले वर्ष मैंने पीडिता को मिलने हेतु बुलाया था और वहां पर मैंने पीडिता के

साथ शारीरिक संबंध बनाये थे तथा मैंने पीडिता का अश्लील वीडियो भी बना लिया था जिसको दिखाकर मैंने उसे ब्लैकमेल करके उससे रूपये व आभूषण भी ले लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

विपिन पुत्र पप्पू निवासी गांव नगलाबेर थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 01 लाख की धनराशि वापस करायी गई

आज दिनांक 08.07.2025 को साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक सुरेश निवासी धर्मदास पुर जनपद गोंडा हाल पता पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 01 लाख रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से सुरेश निवासी धर्मदास पुर जनपद गोंडा हाल पता पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ 01 लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 08.07.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी साइबर सैल टीम

कॉवड़ यात्रा 2025 में सभी थानों को वितरित करने हरिद्वार में हर की पौड़ी से गाजियाबाद पुलिस द्वारा गंगाजल लाने के सम्बन्ध में-

कॉवड़ यात्रा का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त कांवड़िए सैंकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा श्रावण माह में होती है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हरिद्वार से जल लाने को अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि गंगा यहां पर्वतराज हिमालय से मैदानों में प्रवेश करती है। यह यात्रा श्रद्धा, संयम और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है, जो भक्तों को शिव कृपा प्राप्ति का मार्ग प्रदान करती है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दिनांक 11.07.2025 से श्रावण माह प्रारम्भ हो रहा है जिसमें गाजियाबाद सीमा से होकर बडी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर विभिन्न राज्यों / जनपदों तथा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं सीमावर्ती जनपदों को जाते है। कॉवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त की कॉवड़ खण्डित होने की दशा में उनको त्वरित गंगाजल उपलब्ध कराये जाने हेतु गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपनी एक टीम हरिद्वार में हर की पौडी भेजकर कुल 1400 लीटर गंगाजल मंगवाया गया है।

जिसको आज दिनांक 08.07.2025 को पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट गाजियाबाद से समस्त थानों को वितरित किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक थाने को करीब 50 लीटर गंगाजल उपलब्ध कराया गया है तथा कॉवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त की कॉवड़ खण्डित होने की दशा में सम्बन्धित थाने द्वारा शिव भक्तों को गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कॉवड़ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा बन्द दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ इन्वर्टर व बैट्री एवं घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी बरामद।

दिनांक 07.06.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी धर्मवीर पाल पुत्र श्री रामौतार निवासी ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 06.06.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी दुकान का ताला तोड़कर इन्वर्टर व बैट्री चोरी कर लिया है। थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 305,331(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान आज दिनांक 08.07.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त मोनू पासवान पुत्र श्री शत्रुघन पासवान निवासी डी 2/17 शांहजहां रोड इण्डिया गेट सर्वेन्ट क्वाटर थाना तिलक मार्ग जिला सैन्ट्रल दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष को आनन्द विहार बार्डर खण्हर बिल्डिंग के पास थाना कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के इन्वर्टर व बैट्री एवं घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पासवान के विरुद्ध धारा 305,331(4) बीएनएस में 317(2),317(5) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पासवान से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 06.06.2025 की रात्रि को वादी धर्मवीर पाल की दुकान का ताला तोडकर इन्वर्टर व वैट्री को चोरी करके सीमान्त विहार के पास घनी झाडियों में छिपाकर रख दिया था, स्कूटी को करीब 01 माह पहले आनन्द विहार दिल्ली से चोरी किया था। अभियुक्त मोनू पासवान आज दिनांक 08.07.2025 को स्कूटी, इन्वर्टर व बैट्री को बेचने की फिराक में आनन्द विहार बार्डर खण्हर बिल्डिंग के पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

मोनू पासवान पुत्र श्री शत्रुघन पासवान निवासी डी 2/17 शांहजहां रोड इण्डिया गेट सर्वेन्ट क्वाटर थाना तिलक मार्ग जिला सैन्ट्रल दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी के इन्वेर्टर, बैट्री व स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पासवान के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी का 01 अभियोग व दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।